भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 702

04 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान

702.श्री लुम्बाराम चौधरीः

श्री मनीष जायसवालः

श्रीमती पूनमबेन माडमः

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

श्री दुलू महतोः

श्री चंदन चौहानः

श्रीमती कमलजीत सहरावतः

श्री बलभद्र माझीः

श्रीमती डी. के. अरुणाः

श्री राधेश्याम राठियाः

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

श्री भोजराज नागः

कैप्टन बृजेश चौटाः

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री नारायण तातू राणेः

श्री अमर शरदराव कालेः

श्री राहुल सिंह लोधीः

श्री दिनेशभाई मकवाणाः

श्री योगेन्द्र चांदोलियाः

श्रीमती हिमाद्री सिंहः

श्री मितेश रमेशभाई पटेलः

श्री बिद्युत बरन महतोः

डॉ. राजकुमार सांगवानः

श्री बंटी विवेक साहूः

श्री गोपाल जी ठाकुरः

श्री शिवमंगल सिंह तोमरः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

डॉ. हेमांग जोशीः

श्री मनोज तिवारीः

श्री हरीभाई पटेलः

श्री अनिल फिरोजियाः

श्री सुरेश कुमार कश्यपः

श्री बिभु प्रसाद तराईः

श्री प्रवीण पटेलः

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः

श्री जुगल किशोरः

श्री जगदम्बिका पालः

श्री आशीष दुबेः

डॉ. संजय जायसवालः

श्री नलिन सोरेनः

श्री खगेन मुर्मुः

श्री नव चरण माझीः

श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी आवास योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए प्राथमिकता, वरीयता और आरक्षित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रस्तावित पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधान शामिल किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित प्रमुख प्रावधानों, दिशा-निर्देशों और सुरक्षा उपायों का राज्य संघराज्यक्षेत्रवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के आरंभ से लेकर अब तक दिव्यांगजन श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित और कवर किये गये लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा ऐसे लाभार्थियों के लिए स्वीकृत और पूर्ण की गई आवास इकाइयों का जिला-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दिव्यांगजनों को आवास आवंटित करने हेतु समावेशी, पारदर्शी और न्यायसंगत तंत्र अपनाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों की सहायता के लिए कोई दिशा-निर्देश, मॉडल ढांचा या सलाह जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत समर्थित दिव्यांगजन लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा वर्तमान आवास परियोजनाओं की जिला तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) क्या सरकार राज्यों को तकनीकी-वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और पीएमएवाई-यू या आने वाले पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सस्ते घरों में सार्वभौमिक पहुंच, अवरोध रहित डिज़ाइन मानक और सहायक अवसंरचना को मज़बूत करने के लिए अतिरिक्त उपाय शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास

उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता कर रहा है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में कोई बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के साथ-साथ विधवाओं, अकेली रह रही महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों से संबंध रखने वाले दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मियों, प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत चिन्हित पथ विक्रेताओं, प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों, स्लम/चॉलों के निवासियों और पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन के दौरान चिन्हित अन्य समूहों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। पीएमएवाई-यू योजना संबंधी दिशानिर्देश https://pmay-may urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.0 2.pdf पर देखे जा सकते हैं।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपयुक्त साधनों के माध्यम से विभिन्न घटकों के तहत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के तहत, दिव्यांगजनों सहित लाभार्थियों की कई श्रेणियों के लिए वरीयता का प्रावधान किया गया है। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखे जा सकते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 122.06 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत 10.43 लाख आवास शामिल हैं। इनमें से, 113.85 लाख

आवास निर्माण हेतु लिए गए हैं और दिनांक 24.11.2025 तक देश भर में 96.02 लाख आवास बनाकर तैयार किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। अब तक इन योजनाओं के तहत कुल 73,524 निशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) लाभान्वित हुए हैं। इन योजनाओं के तहत लाभान्वित निशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और जिले-वार विवरण 'https://pmay-urban.gov.in/PHQ/LSUQ-702.pdf' पर देखा जा सकता है।

एएचपी घटक के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत उल्लिखित निशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए बाधा मुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रैंप और अन्य सुविधाओं के आवश्यक प्रावधान अनिवार्य है। इसके अलावा, पहचान किए गए पात्र लाभार्थियों को आवासों का आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एक समावेशी, पारदर्शी और न्यायसंगत तंत्र के माध्यम से किया जाता है। एएचपी परियोजनाओं में आबंटन करते समय, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवारों को वरीयता देते हुए भू-तल या निचली मंजिलों पर आवास आबंटित किए जाते हैं।

*****